



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 11 राँची, बुधवार 6 श्रावण, 1943 (श०)
28 जुलाई, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 145—155	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

6 जुलाई, 2021

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त-03/2017-2281(02)/रा.--उपायुक्त, राँची के पत्रांक-737(ii), दिनांक-06.04.2021 के आलोक में श्री पुष्पक रजक, अंचल अधिकारी, अनगढ़ा, राँची को उनके कार्यों के अलावे अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

6 जुलाई, 2021

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त-03/2017-2282(02)/रा.,--उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-74, दिनांक-10.03.2021 के आलोक में श्री जयंत जेरोम लकड़ा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो को उनके कार्यों के अलावे विशेष जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण पसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

6 जुलाई, 2021

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त-03/2017-2283(02)/रा.,--उपायुक्त, राँची के पत्रांक-737(ii), दिनांक-06.04.2021 के आलोक में श्री सुमन्त तिकी, अंचल अधिकारी, बेड़ो, राँची को उनके कार्यों के अलावे अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**अधिसूचना**

14 जुलाई, 2021

संख्या--10/विविध-1013/2008-खण्ड-III- 2502--गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु चलाये गए आंदोलन के विभिन्न श्रेणी के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने एवं अनुमान्य सुविधाएँ प्रदान करने के निमित्त अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है ।

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु एक त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया जाता है एवं श्री दुर्गा उराँव, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त) को त्रिसदस्यीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ।

3. आयोग का कार्यकाल एक वर्ष का होगा तथा पुनर्गठित आयोग आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

**मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(नागर विमानन प्रभाग)**

अधिसूचना

8 जुलाई, 2021

संख्या-CADsec1/01-EST-9/2021/430--तकनीकी तथा गैर तकनीकी सामग्रियों के क्रय तथा सेवाओं हेतु विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली निविदाओं के निष्पादन के लिए विभागीय क्रय समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

(i).	कै. एस. पी. सिन्हा, निदेशक, संचालन, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड, रांची ।	अध्यक्ष
(ii)	श्री अखलेश कुमार सिन्हा, उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड, रांची ।	सदस्य सचिव
(iii)	वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा विभागीय क्रय समिति हेतु अधिसूचित सदस्य ।	सदस्य
(iv)	उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा विभागीय क्रय समिति हेतु अधिसूचित सदस्य ।	सदस्य
(v)	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), झारखण्ड सरकार द्वारा विभागीय क्रय समिति हेतु अधिसूचित सदस्य ।	सदस्य

2. उपरोक्त समिति का कार्य निविदा शर्तों के आलोक में प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर अपनी अनुशंसा से विभागाध्यक्ष को अवगत कराना होगा ।
3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

1 जून, 2021

संख्या-1/विविध-803/2012 का०- 2715 --श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. (झा:2009), नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18(B) के तहत दिनांक 16.04.2021 से 23.04.2021 तक कुल 08 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 जून, 2021

संख्या-1/विविध-815/2019 का०- 2775--श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (झा:2016), उपायुक्त, धनबाद को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 04.09.2020 से 08.09.2020 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

9 जुलाई, 2021

संख्या-सं०सं०-03/नि०सं०-09-10/2021 का. 3128--श्रीमती पूनम प्रभा पूर्ति, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-704/03), संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 16.03.2021 से दिनांक 14.04.2021 तक (कुल 30 दिनों का) निरोधा अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 166 के अधीन परिशिष्ट 13 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

9 जुलाई, 2021

संख्या-सं०सं०-03/नि०सं०-09-15/2020 का. 3127-- श्री अरविन्द कुमार मिश्र, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-623/03), संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 01.05.2021 से दिनांक 12.05.2021 तक (कुल 12 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BHAVESH CHAUDHARY पिता SRI LAXMAN CHAUDHARY शपथ पत्र सं० 593, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के अनुसार BHAVESH KUMAR CHAUDHARY के नाम से जाना जाऊंगा।

BHAVESH CHAUDHARY एवं BHAVESH KUMAR CHAUDHARY दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

PERMANENT RESIDENT-- FLAT NO.-303,
L S TOWER-2,
OLD POLICE LINE,
LINE TANK ROAD,
OPPOSITE HOTEL LELAC,
P.O.-G.P.O.
P.S.-LOWER BAZAR,
DIST.- RANCHI,
PIN-834001 (JHARKHAND)

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SUMBUL SIDDQUI पिता MD. MAHFOOZ पति DR. TANWEER ALAM शपथ पत्र सं० 670, दिनांक 4 नवम्बर, 2020 के अनुसार SUMBUL ALAM के नाम से जानी जाऊंगी।

SUMBUL SIDDQUI, SUMBUL SIDDIQUE, SUMBUL SIDDIQUI एवं SUMBUL ALAM चारों एक ही महिला का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- HOUSE NO.-2046, ALAM HOUSE,
NEAR JODA TALAB, BARIATU,
P.O. & P.S.- BARIATU,
DIST.- RANCHI,
PIN-834009 (JHARKHAND)

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं TANUSHREE पिता LATE SUNIL KUMAR SINHA शपथ पत्र सं० 1242, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 के अनुसार TANUSHREE SINHA के नाम से जानी जाऊँगी।

TANUSHREE एवं TANUSHREE SINHA दोनों एक ही महिला का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- FLAT NO.-2 B, SHARDA APARTMENT,
SHUKLA COLONY, HINOO,
P.O. & P.S.- DORANDA,
DIST.- RANCHI,
PIN-834002 (JHARKHAND)

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं DIPA KUMARI पति BARUN SHARMA शपथ पत्र सं० 335, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 के अनुसार DIPA SHARMA के नाम से जानी जाऊँगी।

DIPA KUMARI एवं DIPA SHARMA दोनों एक ही महिला का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- VILLAGE-DHAWAN NAGAR,
P.O.- RANCHI UNIVERSITY,
P.S.- GONDA,
DIST.- RANCHI,
(JHARKHAND)

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BELA पिता SUBODH KUMAR JAISWAL शपथ पत्र सं० 961, दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 के अनुसार BELA JAISWAL के नाम से जानी जाऊँगी।

BELA एवं BELA JAISWAL दोनों एक ही महिला का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- FLAT NO.-202, KAUSHAL APARTMENT,
LOWER BURDHWAN COMPOUND,
MURGI FARM CHOWK, LALPUR,
DIST.- RANCHI,
PIN-834001 (JHARKHAND)
